प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर–208002
Visit us: http:// dte.up.nic.in

Phone No. [illegible]
Fax No. [illegible]
E-mail [illegible]

:: आदेश ::

प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पालीटेक्निकों के समूह "ग" श्रेणी में तैनात निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है।	अभ्युक्ति
	सर्वश्री :-			
1.	विनोद कुमार मिश्रा, पुस्तकालयाध्यक्ष	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ।	राजकीय पालीटेक्निक, सरायजीत सीतापुर।	जनहित में।
2.	श्रीमती सोनिया वर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष	राजकीय महिला पालीटेक्निक, फैजाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ।	स्वयं के अनुरोध पर।
3.	सर्वेश्वर मिश्रा, पुस्तकालयाध्यक्ष	संजय गांधी पालीटेकनिक, जगदीशपुर अमेठी।	राजकीय पालीटेकनिक, जगुनिया, डीह, हरख (बाराबंकी)	स्वयं के अनुरोध पर।
4.	श्रीमती कंचन, पुस्तकालयाध्यक्ष	राजकीय महिला पालीटेक्निक, मेजा इलाहाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, औराई भदोही।	स्वयं के अनुरोध पर।

उपरोक्त कार्मिको में से जिस कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अविलम्ब कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दें परन्तु भारत सरकार द्वारा घोषित महत्वाकांक्षी जिला–योजना से संबंधित जनपदों (चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती एवं बहराइच) से स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी के बिना कार्यमुक्त न किया जाये तथा संदर्भित जनपदों को स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाए।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोडने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक–3/2018/1/3/96–का–4–2018, दिनांक 29.03.2018 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

(आर०सी० राजपूत)
निदेशक।

संख्या 8654-66 /ई–स्था०स्थाना०अराज०(समूह–ग/घ)/2018–19,कानपुर दिनांक 31 मई, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग, विधान भवन लखनऊ।
2. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग, विधान भवन लखनऊ।